भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2124

उत्तर देने की तारीख-19.03.2025

पीएचडी शोधकार्य की गुणवत्ता

2124 **डा. अजित माधवराव गोपछड़े**:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रमों की समीक्षा शुरू की है, यदि हां, तो इस समीक्षा के निष्कर्ष और उसके बाद की कार्रवाइयां क्या हैं;
(ख) यूजीसी ने पीएचडी शोध की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय लागू किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह राष्ट्रीय विकास में योगदान दे;
(ग) यूजीसी धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त पीएचडी डिग्रियों को रद्द करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने पर विचार क्यों नहीं कर रहा है; और
(घ) क्या यूजीसी देश को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने वाले पीएचडी शोधकार्यों को मान्यता देने पर विचार कर रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएचडी डिग्री प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच यूजीसी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई। इसके बाद, आयोग ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू, राजस्थान; सनराइज यूनिवर्सिटी, अलवर, राजस्थान; सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान और श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, चुडेला, झुंझुनू, राजस्थान को अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पीएचडी डिग्री प्रदान करने के संबंध में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में यूजीसी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने प्रतिवर्ष "पीएचडी उत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र" की शुरूआत की है, ताकि उन शोध विद्वानों की पहचान की जा सके और उन्हें सम्मानित किया जा सके जिनके पीएचडी शोध प्रबंधों ने ज्ञान सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उक्त दिशा-निर्देश https://www.ugc.gov.in/pdfnews/1797652_Guidelines-for-PhD-Excellence-Citation.pdf पर उपलब्ध हैं।

****